

<div>दैनिक</div> <div>प्रजा सहायता</div>
हैदराबाद, गुरुवार 10 दिसंबर, 2009
22-8-45/14-16 जमाल मार्केट, छत्ता बाजार, हैदराबाद- 2
फ. 24565088 फ़ैक्स (040)24565088
E-mail : www.prajasahayata_daily@rediffmail.com

दोस्ती पर परमाणु करार

भारत और रूस की जांची-परखी हुई दोस्ती पर परमाणु करार की मुहर यह साबित करती है कि दोनों देशों के रिश्ते अब पटरी पर आ चुके हैं। भले ही परमाणु करार की शुरुआत अमेरिका के साथ हुई, लेकिन रूस के साथ हुआ समझौता जताता है कि यह ज्यादा भरोसेमंद और टिकऊ है। हालांकि पिछले साल दिसंबर में उसके साथ एक समझौता हुआ था, जिसके तहत रूस ने कहा था कि वह भारत में कुछ परमाणु रिएक्टर स्थापित करेगा, लेकिन इस बार की यात्रा में उसे पूरी तरह से अमली जामा पहनाया गया है। चूंकि भारत-अमेरिका परमाणु करार हर बाधा को पार करते हुए भी कार्यान्वयन के स्तर पर अनिश्चितता के भंवर में फंसा है, और अब भी बराक ओबामा आवासन ही दे रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि रूस के साथ हुआ करार उससे पहले लागू हो सकता है। क्योंकि रूस के साथ रिश्तों की एक ऐतिहासिकता है, जिसके चलते बहुत से काम स्वतः हो जाते हैं। वर्ष 2001 में जब तारापुर परमाणु संयंत्र के लिए परमाणु ईंधन अचानक खत्म हो गया था, तब रूस ही आगे आया था और अंतरराष्ट्रीय बियदरी की आलोचना की परवाह किए बगैर उसने हमें ईंधन की आपूर्ति की थी। इस बार हुए असेंन्य परमाणु करार के तहत रूस अत्याधुनिक परमाणु रिएक्टर तो लगाएगा ही, साथ ही परमाणु परिष्करण और पुनर्संशोधन की प्रौद्योगिकी भी देगा। यही नहीं, ईंधन के पुनर्संशोधन का अधिकार भी भारत के पास रहेगा। जबकि अमेरिका के साथ हुए करार में यह अधिकार उसने अपने पास रख लिया था। तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के अलावा पश्चिम बंगाल के हरिपुर में भी एक और संयंत्र स्थापित करने की बात है। इस तरह भारतीय परमाणु रिएक्टों के लिए यूरैनिम की कमी नहीं आएगी। निश्चय ही रूस के साथ हुआ यह करार युगांतरकारी है, क्योंकि यहां से हम रूस के साथ संबंधों की नई इबारत लिख रहे हैं। यह ठीक है कि अतीत में रूस के साथ हमारे अच्छे रिश्ते रहे हैं। लेकिन जिस दौर में उनकी नींव रखी गई थी, उस दौर में हमारी हीसैयत बराबरी की नहीं थी। हम याचक थे और वे दाता। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। भारत एक उभरती हुई आर्थिक ताकत है। वह एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति भी है। इस संचाई को समझते हुए ही अमेरिका ने भारत के साथ परमाणु करार की पहल की थी। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उस करार पर किस तरह रूस हमसे नाराज हो गया था। हमारे विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी तक को मास्को में बेइज्त होना पड़ा था। लेकिन आज वही रूस हमें वह सब कुछ देने को तैयार है, जो अमेरिका नहीं दे रहा। यानी यह करार बराबरी के देशों के बीच हो रहा है, दाता और पाता के बीच नहीं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उचित ही कहा है कि रूस के साथ हमारे संबंध किसी और देश के रिश्तों की कीमत पर नहीं है। यही रिश्तों का पेशेवर अंदाज है और हमें अपना यही रख बनाए रखना चाहिए।

मशविरा

प्रश्न- हिंदी माध्यम से मास कम्यूनिकेशन में स्नातक करने के बाद मैं एक वेबसाइट में जांब कर रहा हूं। क्या अपने कैरियर के आर्थिक स्टेज पर मैं एमए में नियमित पाठ्यक्रम नहीं कर सकता हूं। क्या आप मुझे ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बता सकते हैं, जो दूर शिक्षा के माध्यम से इंगलिश लैंग्वेज में एमए करवाती है। राजविर सिंहउत्तर- निश्चित रूप से आप अंगरेजी में एमए कर सकते हैं। देश की कुछ यूनिवर्सिटीज में दूर शिक्षा माध्यम में अंगरेजी भाषा में दो वर्षीय एमए का कोर्स करार जाने की व्यवस्था है। इसके लिए उम्मीदवार का अंगरेजी में स्नातक होना आवश्यक योग्यता नहीं होती है। इस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए उम्मीदवार को क़रीब 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। नई दिल्ली में स्थित इन्ू के ऑफिस के अतिरिक्त, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला, कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरूक्षेत्र, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक, पंजाबी यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ एवं पंठिया के दूर शिक्षा विभाग में यह कोर्स क़राने संबंधी सारी जानकारी मिल सकती है।प्रश्न- मैं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में कार्यरत हूं। मैं किमिनोलॉजी में स्नातक करना चाहता हूं। क्या यह कोर्स दूर शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है? और क्या इसके लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है?ललित चौधरीउत्तर- आप अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु से एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन किमिनोलॉजी एंड फ़ोरेंसिक साईंस में एमए करवाते हैं। इस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उम्मीदवार को किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। आप संबंधित यूनिवर्सिटी के दूर शिक्षा विभाग में संपर्क करें।प्रश्न-मैंने बीएएमएस किया है। मैं वैकल्पिक थैरेपी में इंटरस्टेड हूं, इसलिए मैंने योग में भी एक कोर्स कर लिया है। मैं एक्यूपंक्चर में एक लघु अवधि का पाठ्यक्रम करना चाहता हूं, लेकिन मुझे मान्यता प्राप्त कोर्स का पता नहीं चल पा रहा है। कृपया मेरा उचित मार्गदर्शन करें।अमित कुमारउत्तर- एक्यूपंक्चर आजकल काफी प्रचलित कैरियर विकल्प बन गया है, जिसमें शिक्षा देने के लिए कई नए पाठ्यक्रम भी लांच किए जा रहे हैं। इन्ू ने हाल ही में पीजी डिप्लोमा इन एक्यूपंक्चर में एक वर्ष का कोर्स लांच किया है, जिसमें नई दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ़ एक्यूपंक्चर एंड नेचुरल मेडिसिन्स की भी भागीदारी है। इस पाठ्यक्रम में एडमिशन लेने के लिए उम्मीदवारों के पास एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होमियोपैथी, योग और नेचुरोपैथी में से किसी भी संकयम में मेडिकल स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।प्रश्न- आईएमटी से दूर शिक्षा के माध्यम से एमबीए (फ़ाइनेंस) करने के बाद मैं एक कंपनी में बतौर अकाउंटेंट काम कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने पद एवं सैलरी से असंतुष्ट हूं। इसलिए ऐसा संस्थान बताएं, जिससे मैं दिल्ली में ही यह पाठ्यक्रम करके फ़ाइनेंशियल सेक्टर में अच्छी जांब एवं रूबरा हासिल कर सकूँ।केके कानोडियाउत्तर- दि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ फ़ॉरने ट्रेड (आईआईएफ़टी) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसईएफ़ एक साथ मिलकर कैंपिटल एंड फ़ाइनेंशियल मार्केट्स में चार महीनों का कोर्स करवाते हैं। इस कोर्स में दाखिला लेने वालों में काफी संख्या में आईएएस अधिकारी, सीए और फ़ाइनेंशियल प्रवक्ता शामिल रहते हैं। यह पाठ्यक्रम करने वाले क़रीब सत्तर प्रतिशत प्रतिभागियों के पास तीन वर्षों का कार्य अनुभव होता है। इस कोर्स में फ़ोक्स प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग और इंस्टीट्यूट प्लान पर होता है। इसमें आईआईएफ़टी के इन-हाउस लेक्चर्स के अलावा निजी निवेश बैंक और ट्रेडिंग प्रेशिशनर्स भी पढ़ाने आते हैं। इसमें ऑनलाइन शिक्षण पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आईआईएफ़टी के दिल्ली कैंपस में ही वर्ग आयोजित किए जाते हैं।

यहां

उत्तर प्रदेश में सरकारों द्वारा लार्ड जाने वाली भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाओं से यही लगता है शंभूनाथ शुक्ल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी के दादरी पावर प्रोजेक्ट पर फ़िलहाल रोक लगा दी है। अदालत का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए अधिगृहीत की गई जमीन के लिए किसानों की सहमति नहीं ली गई थी। दादरी पावर प्रोजेक्ट को जमीन देने के विरोध में गाजियाबाद के किसानों की हुंकार दिल्ली तक सुनाई पड़ी थी, लेकिन जमीन अधिगृहीत में मुलायम सिंह सरकार थी और तब सरकार के धीरूभाई अंबानी के दादरी पावर प्रोजेक्ट को जमीन देते वक्त मुलायम सरकार ने 11 फ़रवरी, 2004 को गाजियाबाद जिले के बड़ेड़ा खुर्द, ककराना, बहसमंदपुर, जादोपुर, देहरा, धौलाना और नंदलालपुर की 2,500 एकड़ कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की। इसके बाद दिल्ली तक सुनाई पड़ी थी, लेकिन जमीन अधिगृहीत कर ली गई। सारी धाराएं इसी अवधि में पूरी कर ली गईं। अगर राज्य सरकार चाहे, तो कि भूमि अधिग्रहण की कानूनी औपचारिकताएं तक पूरी नहीं की गईं।

राज्य सरकारों जन कल्याणकारी कार्यों के लिए किसानों की कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण करती रहती हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक कानूनी खानापूरी भी की जाती है। मसलन धारा-4 के तहत जिलाधिकारी चिह्नित भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी करता है, इसके बाद अनुच्छेद-5 के जरिये किसानों से आपत्तियां मांगी जाती हैं। इस अनुच्छेद से यह सुनिश्चित किया जाता है कि अधिगृहीत की जाने वाली जमीन

इसके बाद किसानों को मुआवजा भी वायदे के मुताबिक नहीं दिया गया। किसानों को कहा गया था कि उन्हें अधिगृहीत जमीन की एवज में 250 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया जाएगा। किसानों के विरोध पर यह मुआवजा बढ़ाकर पहले तो 260 रुपये किया गया, फिर खुद मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने इसे 310 रुपये प्रति वर्गमीटर घोषित किया। पर मुआवजा दिया गया मात्र 150 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से। मुलायम सरकार की इस वायदा खिलाफी का खूब विरोध हुआ। पर राज्य सरकार नहीं पसीजी और जमीन रिलायंस को दे दी गई। लेकिन चूंकि गाजियाबाद दिल्ली से सटा है, इसलिए राजनीतिक दलों ने यहां के किसानों के आंदोलन को मुद्दा बना लिया और पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत वीपी सिंह तथा उस वक्त समाजवादी

इसके बाद धारा-6 लाई जाती है। इसके तहत उस जमीन का गजट प्रकाशित किया जाता है। किसानों से एक बार फिर आपत्तियां मांगी

क्या गंगा के गले की फांस है हरिद्वार

लीलाधर जगूड़ी गंगा प्राधिकरण के सभी गैर सरकारी आठ सदस्यों ने एक सुर में सरकार से मांग की है कि गोमुख से उत्तरकाशी तक ‘नो प्रोजेक्ट जोन’ घोषित किया जाए। इसकी प्रतिक्रिया में उत्तरकाशी गंगा घाटी के गंगा पुत्रों ने ‘संकल्प’ नामक एक पत्रचे में घोषित किया कि गंगा मुक्ति के लिए जनमोरचा बनाकर हरिद्वार में गंगा की अखिरल धारा को मूल मार्ग नीलधारा, चंडीघाट से प्रवाहित करवाया जाएगा। और गंगा से निकली गई नहरों को तोड़ने का आंदोलन चलाया जाएगा।

अब प्रश्न यह है कि अखिरल धारा के नाम पर हरिद्वार से निकलने वाली नहरों को तोड़ना या बंद कराने की मांग क्या उचित है? अखिरल धारा वाले आग्रही जनों की मांग को देखते हुए हरिद्वार भविष्य की रणभूमि बनने जा रहा है। दरअसल, गंगा को हरिद्वार में अवरुद्ध करके 42 नहरों निकली गई हैं। गंगा के मूलमार्ग नीलधारा और चंडीघाट से शीतकाल में एकबूंद पानी निस्सरित नहीं होता। पर इसकी चिंता कभी प्रकट नहीं की गई। अंगरेजों के जमाने में पंडित मदनमोहन मालवीय हरिद्वार की मुख्य गंगा नहर (हर की पैंड़ी) और अन्य प्रस्तावित नहरों में संपूर्ण गंगा को डालने के विरोध में अनशन पर जरूर बैठे थे।बहरहाल, कहने का आशय यह है कि क्या हरिद्वार गंगा के गले की फांस है? वहां से गंगा की अखिरल धारा को छिन्न-भिन्न कर नहरों में डाल दिया गया है उसकी मूलधारा में तो कुंभ के समय भी स्नान के लिए जल उपलब्ध नहीं रहता। सारा जनसैलाब हर की पैंड़ी पर नहाना चाहता है। इसलिए दुर्घटनाओं को घटने से रोक नहीं जा सकता। कुंभ मेले की दृष्टि से भी गंगा के मौलिक मार्ग नीलधारा, चंडीघाट पर एक विशाल ‘राष्ट्रीय घाट’ का निर्माण करना सुरक्षा के लिए समयोचित है। मेला

जाती है। इस प्रक्रिया के पूरी होने

के बाद ही धारा-9 आती है। यानी जमीन अधिग्रहण की कानूनी प्रक्रिया पूरी। और तब 15 दिन के बाद उस भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। लेकिन दादरी पावर प्रोजेक्ट को जमीन देते वक्त मुलायम सरकार ने 11 फ़रवरी, 2004 को गाजियाबाद जिले के बड़ेड़ा खुर्द, ककराना, बहसमंदपुर, जादोपुर, देहरा, धौलाना और नंदलालपुर की 2,500 एकड़ कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की। इसके बाद आनन-फ़न्नन में 25 जून, 2004 को जमीन अधिगृहीत कर ली गई। सारी धाराएं इसी अवधि में पूरी कर ली गईं। अगर राज्य सरकार चाहे, तो धारा-17 का इस्तेमाल कर सीधे धारा-4 के बाद जमीन अधिगृहीत कर सकती है, पर ऐसा केवल आपात स्थितियों में किया जाता है।रिलायंस को जमीन देने की ऐसी कोई आपात स्थिति नहीं थी।

इसके बाद किसानों को मुआवजा

यहां

जाती है। इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद ही धारा-9 आती है। यानी जमीन अधिग्रहण की कानूनी प्रक्रिया पूरी। और तब 15 दिन के बाद उस भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। लेकिन दादरी पावर प्रोजेक्ट को जमीन देते वक्त मुलायम सरकार ने 11 फ़रवरी, 2004 को गाजियाबाद जिले के बड़ेड़ा खुर्द, ककराना, बहसमंदपुर, जादोपुर, देहरा, धौलाना और नंदलालपुर की 2,500 एकड़ कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की। इसके बाद आनन-फ़न्नन में 25 जून, 2004 को जमीन अधिगृहीत कर ली गई। सारी धाराएं इसी अवधि में पूरी कर ली गईं। अगर राज्य सरकार चाहे, तो धारा-17 का इस्तेमाल कर सीधे धारा-4 के बाद जमीन अधिगृहीत कर सकती है, पर ऐसा केवल आपात स्थितियों में किया जाता है।रिलायंस को जमीन देने की ऐसी कोई आपात स्थिति नहीं थी।

इसके बाद किसानों को मुआवजा भी वायदे के मुताबिक नहीं दिया गया। किसानों को कहा गया था कि उन्हें अधिगृहीत जमीन की एवज में 250 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया जाएगा। किसानों के विरोध पर यह मुआवजा बढ़ाकर पहले तो 260 रुपये किया गया, फिर खुद मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने इसे 310 रुपये प्रति वर्गमीटर घोषित किया। पर मुआवजा दिया गया मात्र 150 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से। मुलायम सरकार की इस वायदा खिलाफी का खूब विरोध हुआ। पर राज्य सरकार नहीं पसीजी और जमीन रिलायंस को दे दी गई। लेकिन चूंकि गाजियाबाद दिल्ली से सटा है, इसलिए राजनीतिक दलों ने यहां के किसानों के आंदोलन को मुद्दा बना लिया और पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत वीपी सिंह तथा उस वक्त समाजवादी पार्टी से लोकसभा सदस्य राज बब्बर भी उस आंदोलन से जुड़े। फ़रवरी 2008 में वीपी सिंह की अगुआई में किसानों ने जनहित याचिका दायर की। और इसी का नतीजा चार दिसंबर 2009 का हाईकोर्ट का वह फैसला रहा, जिसके जरिये भूमि अधिग्रहण को रद्द कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुलायम सरकार ही ऐसा करती रही है। किसानों की जमीन के अधिग्रहण के मामले में मौजूदा मायावती सरकार ने घोड़ी बछेड़ा के किसानों के साथ भी ऐसा ही सलूक किया था। भाजपा सरकार के वक्त का मामला तो और भी विचित्र है। वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार दिल्ली से सटी लोनी (जिला गाजियाबाद) के इलाके में दिल्ली-सहारनपुर रोड आवास योजना लेकर आई और वहां के किसानों की 2,917.561 एकड़ भूमि के लिए उसने मुआवजे की दर 1,100 रुपये प्रति वर्गमीटर घोषित की। अधिगृहीत की जाने वाली जमीन का मुआवजा तो बाजार मूल्य से तय किया गया, पर उसके अधिग्रहण की अधिसूचना 1937 के भूमि बंदोबस्त के तहत जारी की गई। जबकि इस बीच वहां दो बार चकबंदी हो चुकी थी। इस आवास योजना को 2005 में मुलायम सिंह सरकार ने निरस्त कर दिया। 2007 में जब उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनी, तो इसे फिर शुरू करवा दिया गया। अब अगरला, लुतफुल्लापुर नवादा मसूदाबाद बामला, मिलख बामला, मंडौला और नानू के किसानों को आपत्ति है कि सरकार ने 61 साल पुराने बंदोबस्त का हवाला देकर उस जमीन को भी कृषि योग्य माना है, जहां इस बीच आबादी बस गई। भाजपा के ही पूर्व विधान परिषद सदस्य वीरसेन सरोहा इस सरकारी भूल का एकमात्र इलाज यह मानते

हैं कि जब मुलायम सरकार ने योजना रद्द कर दी थी, तो इसे दोबारा शुरू करने के पूर्व अधिसूचना भी नए सिरे से जारी की जानी चाहिए। इसके तहत वही जमीन अधिगृहीत की जाए, जो कृषियोग्य है, ताकि आबादी के इलाके की जमीन का अधिग्रहण न होने पाए।

उत्तर प्रदेश में दिल्ली से सटे जिलों की कृषि जमीन काफी हद तक बिल्डरों एवं शहरी आवास योजनाओं द्वारा अधिगृहीत कर ली गई है। यहां गांव हैं, किसान हैं, पर उनके पास कृषि योग्य जमीन नहीं हैं। उनके पास रोजगार के विकल्प भी नहीं हैं। उनकी भूमि पर बिल्डरों ने इमारतें खड़ी कर ली हैं। पर इन भव्य इमारतों के बीच बसे गांवों में न तो सामान्य नागरिक सुविधाएं हैं, न उनके लिए सामुदायिक योजनाएं बनाई जाती हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद की वैशाली, वसुंधरा, इंदिरापुरम और कौशांबी की ऊंची इमारतों के बीच न जाने कितने गांव बसे हैं, जिनकी बजबजाती नालियां देखकर ऐसा लगता है, जैसे हर शहर अपने साथ स्लम बस्तियां बनाए रखने को अभिशप्त है।

इन गांवों से सटे दिल्ली के लालडोरा इलाके वहां के शहरी क्षेत्रों से ज्यादा सुविधा संपन्न हैं। वे गांव भले हों, पर नागरिक सुविधाएं वहां दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किए गए इलाकों से कहीं ज्यादा हैं। काश! ये सुविधाएं उत्तर प्रदेश में भी मिल पातीं। यहां की सरकारों द्वारा आए दिन लाई जाने वाली भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाओं से तो यही लगता है कि किसानों, यूपी में जमीन तुम्हारी नहीं, सरकार की है। जमीन छोड़ो, मुआवजा लो और मौज करो। भारतीय परंपरा में किसान आने वाली पीढ़ियों की सोचता रख है, पर तुम आज की सोचो।

गंगा की धारा को उन्मुक्त करने के लिए हरिद्वार से निकलने वाली नहरों को बंद करने की मांग कितनी जायज है? यह मांग आने वाले दिनों में हरिद्वार को आंदोलनों का अखाड़ा बनाएगी

गंगा की धारा को उन्मुक्त करने के लिए हरिद्वार से निकलने वाली नहरों को बंद करने की मांग कितनी जायज है? यह मांग आने वाले दिनों में हरिद्वार को आंदोलनों का अखाड़ा बनाएगी

नहीं है। इन्हीं लोगों की वजह से सीमा पर चीन का अतिक्रमण नहीं हो पाया है।

लोहारीनाग-पाला, भैंरो घाटी तो नितांत जनशून्य स्थान हैं और 1975 में डबरानी की छोटी नदी में जो बाढ़ आई थी, वैंसी बाढ़ के लिए संवेदनशील छोटी नदियां यहां पर आकर गंगा में मिलती हैं। इन नदियों के मुहाने पर छोटे बांध और टलल बनने से इनके तटबंध न सिर्फ सुदृढ़ बंधनों में बंध जाएंगे, जिससे भविष्य में भूस्खलन और बाढ़ जैसी त्रासदियों से बिना किसी अतिरिक्त उपाय के ही बचाव हो जाएगा, बल्कि बिजली भी मिलेगी। लोहारीनाग-पाला और भैंरो घाटी की परियोजनाओं के कारण भूस्खलन से उत्पन्न गाद पर भी नियंत्रण हो जाएगा।

तिब्बत से जो ‘जाडगंगा’ भैंरो घाटी में आकर मिलती है, उसमें शीत ऋतु में भी भागीरथी के मुक़ाबले पांच गुना अधिक पानी रहता है। तिब्बत-भारत सीमा से भैंरो घाटी तक इस नदी में कम-से-कम चार बड़े पावर हाउस बनाए जा सकते हैं, जिनकी विद्युत उत्पादन क्षमता जलाधिक्य के कारण बारह महीने एक जैसी रहेगी। चीनी सैनिक इस नदी के उदगम से पलम और सिंधा नदी तक गश्त करते हुए अक्सर आ जाते हैं। अगर जाडगंगा में हमारे लोगों की गतिविधि निरंतर सक्रिय रहेगी, तो चीन को घुसपैट करने का अवसर नहीं मिलेगा।

गंगा को स्वच्छ रखने के लिए

आईने में औरतें

हमारे समय की महत्वपूर्ण लेखिका चंद्रकांता ने इस आत्मकथात्मक संस्मरण में स्त्री जीवन की त्रासदी को केंद्र में रखा है, चाहे वह तपेदिक से मरी उनकी मां का चित्रण हो या जलकर मरी अपनी छोटी बहन शीला की व्यथा कथा। ये तो फिर भी पुराने समय की बात है, जब विकास और स्त्री जागृति की बातें उभरकर सामने नहीं आई थीं। कठोर समझी जाने वाली स्त्री के अंदर भी विगलित कर देने वाली भावुकता हो सकती है, यह अपनी सास पर लिखे उनके संस्मरण से पता चलता है। संस्मरण का यह आखिरी हिस्सा सचमुच पढ़ने लायक है। हिंसा और असहिष्णुता के इस दौर में कश्मीर के पुराने अमन भरे दिनों से गुजरना भी उपलब्धि से कम नहीं। चंद्रकांता की भाषा तरल, पारदर्शी है और इन संस्मरणों के मुफ़ीद भी। हाशिए की इबारतें, लेखिका: चंद्रकांता, प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, मूल्य : 250 रुपये।विकास के मील पथरभारत आज शिक्षा से लेकर कृषि, विज्ञान और अर्थव्यवस्था में शीर्ष पर पहुंचा है, तो इसके पीछे अनेक लोगों की मेधा, मेहनत और योजनाओं का योगदान है। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि कैसे चुनौतियों के बीच उठें नई प्रौद्योगिकियों के विकास में सफलता मिली। मेट्रो मैन ई श्रीधरन ने बताया है कि कैसे निजी क्षेत्रों से पूंजी उगाहकर और भारतीय रेल की कार्यपद्धति से अलग हटकर उन्होंने काँगण रेलवे का सपना साकार किया। डॉ. वर्गाज कुरियन भले ही बेमन से आणंद से जुड़े, लेकिन उसके बाद सरकारी सुस्ती और विदेशी साजिशों को नाकाम कर श्वेत क्रांति को संभव बनाया। इस किताब में ऐसे इक्कीस उद्यमियों की प्रेरणास्पद कहानियां हैं, जिन्होंने देश और समाज में अपने संघर्ष से मिसाल पेश की।

विचार जो कामयाब रहे, अनुवाद : भगवती प्रसाद डोभाल, प्रकाशक : पेंगुइन बुक्स, नई दिल्ली, मूल्य : 250 रुपये।

मंदिरों को बनाने में जुटा एक योगी

समूचे विश्व को प्रकाशमान कर रही भगवान स्वामीनारायण द्वारा प्रवर्तित अध्यात्म और ब्रह्म विा की धर्म ज्योति लेकर दुनिया भर में प्रमुख स्वामी जी महाराज हिंदू संस्कार, विचारधारा और संस्कृति के प्रवर्तन में पूरी तत्परता से अग्रसर हैं। मंदिर निर्माण के द्वारा उन्हीं ने सबके लिए हिंदुत्व के उदार मूल्य और वैश्विक विचार उद्घाटित किए हैं।

88 वर्षीय स्वामीश्री का स्वास्थ्य, स्फूर्ति, कांति और चुंबकीय व्यक्तित्व देख कर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कैलीफोर्निया की सिलीकोन वैली के उपनगर मिलपिटास में स्वामीनारायण मंदिर में मूर्तियों की प्राण-प्रतिष्ठा करते हुए उन्हींने कहा कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि समाज को तो मंदिर से जरूरी अस्पताल, महाविालय, पाठशालाएं हैं। लेकिन मंदिर भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, इनमें संतों के सत्संग से ज्ञान प्राप्त होता है, दुख दूर होते हैं, शांति प्राप्त होती है। इसलिए भारतीय संस्कृति में सदियों से मंदिर परंपरा चली आ रही है। भगवान की इच्छानुसार सुख-दुख, आते-जाते हैं। उनकी अनुमति के बिना सूखा पत्ता भी हिल नहीं सकता। दु:ख में भी हमारा भला निहित होता है। भगवान और संत सदा सुख ही प्रदान करते हैं।

दुनिया का बाह्य विकास हुआ है, किन्तु आंतरिक विकास के लिए हमारे शास्त्रों, अवतारों और संतों का अनुसरण, सभी के लिए कल्याण की भावना रखना ही हमारा धर्म है। विश्वभर में 700 से अधिक मंदिरों के सर्जन और विराट सांस्कृतिक परिसरों का सर्जन आपके दिव्य जीवन की मूर्तिमंत गवाही हैं। आपकी सिद्धियों का रहस्य है, परब्रह्म का साक्षात्कार। आपकी परम कारुणिक अध्यात्म ब्राह्मी स्थिति के कारण बौद्ध धर्माध्यक्ष दलाई लामा से लेकर आम आदमी सबने आपको हृदय से चाहा है। नई दिल्ली में यमुना किनारे आपने अक्षरधाम की स्थापना के समय माननीय लोगों ने स्वामिश्री को समुचित आदर दिया।राज सदोष

ओलंपियाड की ए, बी, सी

हाल ही में इस साल के आईआईटी-जेईई और एआई-ईईई टॉपर नितिन जैन ने तेहराप, ईरान में आयोजित साईंस ओलंपियाड में टॉप किया है। समय-समय पर ओलंपियाड में भारतीय छात्रों के बेहतरिन प्रदर्शन के लिए ओलंपियाड खबरों में रहता है, पर ओलंपियाड आखिर है क्या और इसमें भाग लेने की पूरी प्रक्रिया क्या है?दरसअसल, भारत में मुख्य रूप से फिजिक्स, कैमैस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनाॅमी और भैश्व ओलंपियाड का आयोजन होता है। ओलंपियाड पांच चरणों में आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय स्तर

की परीक्षा है, जिसका उद्देश्य अलग-अलग विषयों के में धावी छात्रों को बढ़ावा देना है। ग्यारहवीं और बारहवीं के विज्ञान विषय के छात्र इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। जो छात्र बारहवीं पास कर चुके हैं, वो ओलंपियाड में हिस्सा नहीं ले सकते। वर्ष 2008 से जूनियर साईंस ओलंपियाड भी शुरू किया गया है, जिसमें दसवीं या उससे कम कक्षा के छात्र हिस्सा ले सकते हैं, बशर्ते वो न्यूनतम आयु सीमा की शर्त को पूरा कर रहे हों। जूनियर साईंस ओलंपियाड के बारे ज्यादा जानकारी www.iapt.org.in से प्राप्त की जा सकती है।कौन करता है आयोजनभारत में ओलंपियाड का आयोजन इन सभी विषयों के टीचर्स एसोसिएशन (इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स, इंडियन एसोसिएशन और कैमैस्ट्री टीचर्स, इंडियन एसोसिएशन ऑफ बायोलॉजी टीचर्स आदि) और होमी भाभा सेंटर फॉर साईंस एजुकेशन, मुंबई मिलकर करते हैं। पांच चरणों के ओलंपियाड में पहले चरण का आयोजन होमी भाभा सेंटर फॉर साईंस एजुकेशन करती है। प्रतियोगिता में पूछे गए प्रश्न सीबीएससी बोर्ड के बारहवीं के सिलेबस के स्तर के होते हैं।ओलंपियाड का आयोजन पांच चरणों में होता है, जो इस तरह हैं।-नेशनल स्टैंडर्ड एजामिनेशन-इंडियन नेशनल ओलंपियाड-ओरिएंटेशन और सेलेक्टिंग कैंप